संख्या-394/936/स0ना0उ0/पी0एस0(कैम्प)/2003-2005

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा
सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन
उत्तरांचल, देहरादून ।

नागरिक उड्डयन विभाग | देहरादून:दिनांक 4 सितम्बर, 2004

विषय:- **बी0एच0ई0एल0 परिसर, रानीपुर, हरिद्वार के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2004-2005 में धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-18 (6)/2002 पीई-XI दिनांक 3-8-2004 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में नागर विमानन सम्बन्धी सेवाओं के विस्तार के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार बी0एच0ई0एल0 परिसर रानीपुर, हरिद्वार स्थित एअरस्ट्रिप एवं उससे सम्बन्धित सुविधाओं सहित 315 एकड़ भूमि को उत्तरांचल शासन को हस्तान्तरित करने हेतु प्रश्नगत भूमि/भवन का कब्जा ग्रहण करने से पूर्व भारत हैवी इलैक्ट्रिल्स लि0 (BHEL) हरिद्वार को प्रश्नगत सम्पत्ति के प्रतिपूर्ति व्यय के भुगतान के रूप में रू0 486.95 लाख (रूपये चार करोड़ छियासी लाख पिचानबे हजार मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-2005 में इतनी ही धनराशि अग्रिम के रूप में आहरण कर व्यय हेतु रुपये 300.00 लाख (रुपये तीन करोड़ मात्र) संगत मद से तथा अवशेष 1,86,95,000 (एक करोड़ छियासी लाख पिचानबे हजार मात्र) की धनराशि संलग्न-बी0एम0-15 के प्रपत्र के विवरणानुसार धनराशि को बचतों से पुर्नविनियोग करके व्यय हेतु आपके निवर्तन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- भुगतान करने से पूर्व सम्पत्ति का आवश्यक सर्वेक्षण कर वास्तविक क्षेत्रफल की जानकारी स्थल पर प्राप्त कर ली जायेगी तथा निर्माण इकाई से इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा। BHEL द्वारा भूमि के हस्तानान्तरण हेतु अन्य समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण किया जायेगा। BHEL द्वारा एअरस्ट्रिप के विकास के लिये जो कार्य किया गया है उसका मूल्यांकन करके ही अवशेष धनराशि का भुगतान BHEL को कराया जाना उचित होगा।

3- प्रश्नगत सम्पत्ति में उपलब्ध सुविधाओं एवं सम्पत्ति का ब्योरा (Inventory) तैयार कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में भी निर्माण इकाई से एक आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

4- कब्जा ग्रहण करने से पूर्व भूमि, भवन अथवा सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी करों अथवा अन्य देनदारियों का भुगतान पूर्ववर्ती विभाग द्वारा ही किया जायेगा। इस सम्बन्ध में बी0एच0ई0एल0 से स्थिति स्पष्ट कराते हुये आश्वासन पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

5- कब्जा ग्रहण करते समय सम्पत्ति की बाहरदीवारी मार्क कर ली जाये तथा निर्माण इकाई के सहयोग से मार्क पिलर स्थापित कर लिये जायें।

6- सम्पत्ति में यदि अनधिकृत अध्यासन की स्थिति हो तो उसका निस्तारण बी0एच0ई0एल0 से कब्जा ग्रहण करने से पूर्व सुनिश्चित करा लिया जाये।

7- चूंकि नागरिक उड्डयन से सम्बन्धित सुविधाओं को डी0जी0सी0ए0/एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही निर्मित/विकसित किया जा सकता है, अतः इस हेतु उक्त विभागों के अधिकारियों का दल सर्वेक्षण भी करा लिया जाये।

8— स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण व भुगतान के उपरान्त BHEL से पावती प्राप्त कर उसकी सूचना राज्य सरकार को भी दे दी जायेगी।

9— भूमि एवं परिसर में अवांछित घास, झाड़ियों व पेड़ों को काटने एवं वर्तमान सुविधाओं के निर्माण स्थल, उनके अनुरक्षण तथा आगामी उपयोग हेतु उनकी मियाद एवं भविष्य के लिये उनकी उपयोगिता एवं उनमें क्या–क्या और सुधार अपेक्षित हैं आदि के लिये सर्वेक्षण हेतु अभियन्ताओं के एक दल को भेजा जाना उचित होगा ताकि डी0जी0सी0ए0 तथा ए0ए0आई0 द्वारा प्रेषित की जाने वाली रिपोर्ट में उन कार्यों को भी सम्मिलित कर एक संकलित अनुमान तैयार कराया जा सके।

10— कब्जा ग्रहण करने के बाद परियोजना की परिकल्पना का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व इसके संचालन अथवा व्यवसायिक उपयोग अथवा पर्यटन उपयोग के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों एवं विशेषज्ञों की एक अलग से समिति गठित कर उसकी संस्तुति भी प्राप्त कर ली जाये।

11— कब्जा ग्रहण करने के बाद भूमि/ भवन का नामान्तरण विभाग के पक्ष में कराया जाना सुनिश्चित कर लिया जाये।

12— परिसर में प्रस्तावित कार्यों के लिये आवश्यकतानुसार आगणन गठित कर लिये जायेंगे तथा ऐसे कार्यों के आगणनों पर वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त ही व्यय किया जा सकेगा।

13— व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनिअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। यदि भुगतान के बाद कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

14— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–2005 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–24 के लेखा शीर्षक 5053– नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय 02 विमान पत्तन– आयोजनागत 800– अन्य व्यय 03–हवाई पट्टी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान–00– 24–वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपरलिखित मदों की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–984/वि0–अनु0–3 दिनांक 04 सितम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव

संख्या–394 /936/स0ना0उ0/पी0एस0(कैम्प)/2003–2005, समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबरॉय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून ।
2— प्रमुख सचिव/अवस्थापना विकास आयुक्त,उत्तरांचल शासन ।
3— सचिव,उद्योग,उत्तरांचल शासन ।
4— अपर सचिव उद्योग,उत्तरांचल शासन ।
5— अनु सचिव, भारत सरकार, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग,उद्योग भवन,नई दिल्ली–110011
6— निदेशक, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि0 बी0एच0ई0एल0रानीपुर हरिद्वार ।
7— जिलाधिकारी हरिद्वार ।
8— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
9— वित्त अनुभाग–3
10— गार्ड फाईल ।
11— एन0आई0सी0 ।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव

आय –व्ययक प्रपत्र –15 पुर्नविनियोग– 2004–2005 (हजार रूपयों में)

आयोजनागत से आयोजनागत

नियन्त्रक अधिकारी, सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तरांचल शासन , प्रशासनिक विभाग–सचिव नागरिक उड्डयन , उत्तरांचल शासन, अनुदानसंख्या– 24

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यादधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
लेखा शीर्षक 5053– नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय 02 विमान पत्तन–आयोजनागत 800– अन्य व्यय 04–हवाई पट्टी का सुदृढ़ीकरण एवं अन्य सम्बद्ध निर्माण कार्य–00 24–वृहत् निर्माण कार्य 50000	—	31305	18695	लेखा शीर्षक 5053– नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय 02 विमान पत्तन–आयोजनागत 800– अन्य व्यय 03–हवाई पट्टी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान–00– 24–वृहत् निर्माण कार्य 18695	48695	31305
50000	—	31305	18695	18695	48695	31305

प्रमाणित किया जाता है कि पुर्नविनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155, 156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नही होता है ।

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव नागरिक उड्डयन

उत्तरांचल शासन
वित्त–विभाग
संख्या– /वि0अनु0–3/2004
देहरादूनः दिनांक सितम्बर, 2004

पुर्नविनियोजन स्वीकृत

(के0सी0 मिश्रा)
अपर सचिव वित्त

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तरांचल , ओबराय भवन,
माजरा, देहरादून

संख्या–394 /936/स0ना0उ0/पी0एस0(कैम्प)/2003–2005

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
2– वित्त अनुभाग– 3

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव, नागरिक उड्डयन